संख्या-588/2026/2132/22-2-2025-17(621)/2024

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 मई, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तुफैल अंसारी पुत्र श्री समीउल्लाह अंसारी, निवासी जनपद-कुशीनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-35274/प्रो0-3-फार्म-ए/(एम-25.08.2025), दिनांक-08.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तुफैल अंसारी पुत्र श्री समीउल्लाह अंसारी, ग्राम-कुबेरस्थान, थाना-कुबेरस्थान, जिला-कुशीनगर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 12.01.2010 को कु० अंशू उम्र 07 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त गला दबाकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-147/2010 में धारा-302,376,201 आई0पी0सी0 में मा० सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर के आदेश दिनांक 06.02.2014 मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20.02.2015 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.11.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 10 माह, तथा सपरिहार 17 वर्ष, 04 माह, 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाँदा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नही किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, जेल से रिहा होने पर समाज में स्वच्छंद रूप से घूमने पर आम जनमानस में भय व्याप्त होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त नही पाया गया है तथा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा दिनांक 12.01.2010 को कु० अंशू उम्र 07 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त गला दबाकर हत्या किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी तुफैल अंसारी पुत्र श्री समीउल्लाह अंसारी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं गयी।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तुफैल अंसारी (बन्दी संख्या-138/2014) पुत्र श्री समीउल्लाह अंसारी, निवासी जनपद-कुशीनगर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 588/2026/1915(1)/22-2-2025 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-588/2026/1915/22-2-2025-17(621)/2024

दिनांक: 21 मई, 2026 का संलग्नक

केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तुफैल अंसारी पुत्र श्री समीउल्लाह अंसारी, ग्राम-कुबेरस्थान, थाना-कुबेरस्थान, जिला-कुशीनगर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 12.01.2010 को कु० अंशू उम्र 07 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त गला दबाकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-147/2010 में धारा-302,376,201 आई0पी0सी0 में मा० सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर के आदेश दिनांक 06.02.2014 मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20.02.2015 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.11.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 10 माह, तथा सपरिहार 17 वर्ष, 04 माह, 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाँदा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नही किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, जेल से रिहा होने पर समाज में स्वच्छंद रूप से घूमने पर आम जनमानस में भय व्याप्त होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त नही पाया गया है तथा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा दिनांक 12.01.2010 को कु० अंशू उम्र 07 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त गला दबाकर हत्या किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी तुफैल अंसारी पुत्र श्री समीउल्लाह अंसारी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं गयी।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in